उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– / /XXVIII(3)22-75/2013
देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2022

शुद्धि पत्र

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना (F.P.I.S) में प्रदान की जाने वाली राशि को दुगुना किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–170/ XXVIII(3)22-75/2013, दिनांक 29 मार्च, 2022 में अंकित पृष्ठांकन में से कमांक–8 को निम्नवत् पढ़ा जाये :–

8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जनपदीय पुरूष/महिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।

2. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।

संख्या– 171 (1)/ XXVIII(3)22-75/2013, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, कौलागढ़ उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जनपदीय पुरूष/महिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

जसविन्दर कौर
(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।

कार्यालय मिशन निदेशक, एन.एच.एम. उत्तराखण्ड
प्राप्तकर्ता
दिनांक 05/04/22
क्र.सं. 023

संख्या– /XXVIII(3)21-75/2013

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 **देहरादून : दिनांक 29 मार्च , 2022**

विषय– प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना (F.P.I.S.) स्कीम में प्रदान की जाने वाली राशि को दुगुना किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) सं0–9/2012 देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दि0–14.09.2016 एवम् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11017/C/1/2012-FP (Pt) दि0–04.10.2016 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या–3प/प0क0/20/ 2018/7620 दि0–25.03.2020, पत्र संख्या–2815 दि0–13.10.2021, पत्र संख्या–24169 दि0–02.11.2021, पत्र संख्या–26394 दि0–01.12.2021 पत्र संख्या–2489 दि0–01.02.2022 के कम में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना के अन्तर्गत नसबन्दी के लाभार्थियों को नसबन्दी के कारण उत्पन्न हुई जटिलता/असफलता/मृत्यु के प्रकरणों में वर्तमान में प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि दोगुनी की जाती है।

2. परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का विवरण निम्नवत रहेगा :–

Section	Coverage	Limits		
		GOI Share	State share	Total
IA	Death following sterilization (inclusive of death during process of sterilization operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from hospital.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
IB	Death following sterilization within 8-30 days from the date of discharge from hospital.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-	Rs. 1,00,000/-
IC	Failure of sterilization.	Rs. 30,000/-	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/-
ID	Cost of treatment in hospital and upto 60 days arising out of complication following sterilization operation (inclusive of complication during process of sterilization operation) from the date of discharge.	Actually not exceeding Rs. 25,000/-	Actually not exceeding Rs. 25,000/-	Actually not exceeding Rs. 50,000/-
II	Indemnity per doctor/health facilities but not more than 4 in a year.	Upto Rs. 2,00,000/- per claim	Upto Rs. 2,00,000/- per claim	Upto Rs. 4,00,000/- per claim

3. उपरोक्त के कम में नई दर से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का व्यय भार सुसंगत मद, जिसमें केन्द्रांश के रूप में 50 प्रतिशत एवं राज्यांश के रूप में 50 प्रतिशत की दर से वहन किया जाता है," से किया जायेगा। तदनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल फार फैमिली प्लानिंग इन्डैमिनिटी स्कीम के निर्देशों का अनुपालन करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 170 (1)/XXVIII(3)21-75/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई, दिल्ली।
2. महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जनपदीय पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।